



IndianOil



IndianOil

CIN-L23201MH1959GOI011388

IndianOil

विपणन प्रभाग

म. प्र. राज्य कार्यालय

मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल / डीज़ल पम्प के लिए भूमि की आवश्यकता यह विज्ञापन केवल भूमि की खरीद/दीर्घकालिक पट्टे के हेतु है और डीलरशिप की नियुक्ति के लिए नहीं।

इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि को, भूमि के वैध और स्पष्ट विपणन योग्य स्वामित्व रखनेवाले इच्छुक पक्षों से, निम्न स्थानों पर खुदरा दुकान स्थापित करने के हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को सीधे बिक्री/पट्टे (नवीनीकरण विकल्प के साथ न्यूनतम 19 वर्ष और 11 महिने) के माध्यम से हस्तांतरण के लिए दो अलग-अलग लिफाफों में (एक में स्थान का तकनीकी विवरण तथा दूसरे में वित्तीय प्रस्ताव) मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

स्थानों की सूची, विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाईट (www.iocl.com) URL (<https://www.iocl.com/coco-divestment-and-service-provider>) पर उपलब्ध है और उन्हें डाऊनलोड भी किया जा सकता है। आवेदकों को अपने हित में अपने आवेदन को प्रस्तुती से पहले विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और भूमि प्रस्ताव की शर्तों को समझना चाहिए।

इच्छुक पक्ष नीचे दी गई तिथि और समय या उससे पहले निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकते हैं।

स्थान अ.स.	बोली/आवेदन प्रस्तुत करने का पता
अ.स. 1	विभागीय खुदरा बिक्री प्रमुख, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., भोपाल विभागीय कार्यालय, पहली मंज़िल, इंडियन ऑयल भवन, 16, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462011 दूरभाष : 0755-2524757
अ.स. 2 से 8	विभागीय खुदरा बिक्री प्रमुख, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., रायपुर विभागीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, वीआईपी रोड, तेलबंध, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492006, दूरभाष : 0771-4313039
अ.स. 9	विभागीय खुदरा बिक्री प्रमुख, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., इंदोर विभागीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, प्लाट सं. 8, स्कीम सं. 159, एम आर-10, कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग, इंदोर - 452016, दूरभाष : 0731-2970520/2970521
अ.स. 10 से 11	विभागीय खुदरा बिक्री प्रमुख, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., जबलपुर विभागीय कार्यालय, ब्लाक सं. 9, दूसरी मंज़िल, स्कीम सं. 18, सिविल सेंटर, मरहाताल, जबलपुर - 482002, म.प्र., दूरभाष : 0761-2480499

बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि **09.06.2025 को शाम 17:00 बजे** उपरोक्त पते पर है। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव नियत तिथि से 300 दिन की अवधि या पारस्परिक रूप से स्वीकृत ऐसी विस्तारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए।